[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं0 61/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 नवम्बर, 2018

सा0का0नि0......(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 50/2018-केंद्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 868(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को 1 अक्तूबर, 2018 से लागू नहीं होगी ।''।

[फा0सं0 सीबीईसी/20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 868(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा0का0नि0 संख्यांक 1057(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 57/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया ।